कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला–बीजापुर

Cont No- 07853-220010/220264 Email- nrhmbijapur@gmail.com

क्रमांक / 781 /मु.चि.अ./NHM/2016-17 बीजापुर दिनांक 30/12/16

संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना

जिला स्वास्थ्य समिति, जिला बीजापुर अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जिला एवं विकासखंड स्तर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने हेतु निविदा का प्रकाशन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/676ए/मु0चि0अ0/NHM/2016–17 बीजापुर ,दिनांक 15/12/2016 के द्वारा किया गया था। उक्त निविदा की अंतिम तिथि को 10 जनवरी 2017 तक बढ़ाया जा रहा है। निविदा संबंधी नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 11:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक या **NIC Portal** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा की विस्तृत जानकारी बीजापुर जिले की बेबसाइट www.bijapur.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदा समाप्ति की अंतिम तिथि	:–	10 जनवरी 2017 को दोपहर 12:00 बजे तक
निविदा पूर्व आपत्ति निराकरण की तिथि	:–	07 जनवरी 2017 को सुबह 11.00 बजे से
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:–	10 जनवरी 2017 को दोपहर 02:00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि	:–	10 जनवरी 2017 को शाम 04:00 बजे से

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला –बीजापुर(छ0ग0)

जिला स्वास्थ्य समिति अंतर्गत मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु निविदा नियम एवं शर्ते :—

1. जिला बीजापुर में PPP मॉडल के तहत् मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है जिसमें फर्म/NGO ही भाग ले सकते है।
2. निविदाकर्ता द्वारा रखी गई शर्ते मान्य नहीं होगी तथा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
3. एक मुख्य सील बन्द लिफाफे के ऊपर में प्रस्तावित मोबाईल मेडिकल यूनिट बीजापुर वर्ष 2016—2017 लिखा हो, इस मुख्य लिफाफे के अन्दर निविदा पद्धति के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र में जिसमें दो अलग से लिफाफे निम्नानुसार होने चाहिए :— 1. तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) 2. दर लिफाफा (Price Bid)।
4. मुख्य सील बन्द लिफाफा प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा जिसमें उपलब्ध दो लिफाफे में से तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) को प्रथम खोला जायेगा।
5. निर्माता कम्पनी को तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) में निम्न प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा लिफाफा निरस्त किया जायेगा।
   - निविदाकर्ता/फर्म का नाम एवं संपूर्ण पता टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स नंबर एवं ईमेल—आई.डी. एड्रेस प्रूफ सहित।
   - निविदाकर्ता/फर्म लायसेंस संबंधी दस्तावेज।
   - टिन नम्बर/टेन नम्बर।
   - पेन कार्ड नम्बर।(मुख्य प्रवर्तक का)
   - शपथ पत्र (दिये हुए प्रारुप में)
   - (Turn Over) का प्रमाण—पत्र (सक्षम अधिकारी अथवा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है)
   - तीन साल का औसत टर्न ओवर — 1 करोड़।
   - दस हजार (10,000.00) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट E.M.D. सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा जो कि जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर के पक्ष में देय होना चाहिए संलग्न करना होगा।
6. क्रय समिति आपके व्दारा छायाप्रति के रूप में जमा किये गए दस्तावेजों के मिलान हेतु मूल प्रति से करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
7. तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) खुलने के दिन एक में निविदादाता या उनके व्दारा अधिकृत प्रतिनिधि (अधिकृत प्रमाण—पत्र सहित) उपस्थित हो सकते हैं।
8. प्रदाय किये जाने के अनुबंध होने के बाद प्रदायकर्ता किसी भी कारण से निविदा अनुबंधित अवधि के दौरान निविदा दर के बाद किसी कारण से निविदा दरों में अनुबंधित अवधि के दौरान निविदा दर में परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

9. उपरोक्त लिफाफा के अभिलेखों के निरिक्षण उपरांत समिति के समक्ष संबंधित फर्म कार्य संबंधी तकनिकी प्रस्तुतीकरण देंगे जिसमें पूर्व कार्य का अनुभव, मोबाईल मेडिकल यूनिट विशेष विवरण योजना, गुणवता प्रदर्शन के बारे में होगा। जिन निविदाकारों के अभिलेखों को सहीं पाया जायेगा उनकी निविदा मान्य किये जाने की दिशा में ही निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मोबाईल मेडिकल यूनिट हेतु दर लिफाफा (Price Bid) को खोला जावेगा।

10. स्वीकृत निविदाकार द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा समाप्ति तक जमा रखा जावेगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदाकार के अमानत राशि 25 दिवस के उपरांत लिखित आवेदन पत्र के बाद वापस किया जाएगा।

11. निविदाएं खोली जाने के बाद निविदाकार को लिपिकीय अथवा मुद्रलेखकीय त्रुटि के लिये सुधारने का अवसर नहीं दिया जावेगा। ऐसी शर्तें जैसे SUBJECT TO AVAILABILITY, SUPPLIES WILL BE MADE AS AND WHEN RECEIVED etc. को अपूर्ण निविदा जानकर निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

12. अनुबंध की शर्तो का पालन नहीं करने पर निविदाकार/फर्म को अगले पांच वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

13. निविदा समिती को किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के दर्शाए किसी एक अथवा सम्पूर्ण निविदा को स्वीकारने अथवा निरस्त करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते है।

14. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तकनीकी लिफाफा (Technical Bid) के समस्त दस्तावेजों में एवं प्राइस बिड़ (Price Bid) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और नाम लिखना अनिवार्य है।

15. कोई भी निविदाकार अथवा फर्म/कंपनी जिसे पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन अथवा केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन द्वारा काली सूची रखा गया हो निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

16. निम्न बिन्दुओं के आधार पर PPP मॉडल द्वारा मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जावेगा। जो निम्नानुसार है–

- वाहन जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय होगा तथा अनुबंध पश्चात् उसी स्थिति में वापस किया जावेगा जिस स्थिति में फर्म को दिया जावेगा।
- वाहन की देखरेख, सर्विसिग, इन्श्योरेंस व टूटफूट की जवाबदारी संबंधित फर्म की होगी।
- वाहन में आई0ई0सी0 संबंधित फर्म द्वारा किया जावेगा।
- यह अनुबंध 1 वर्ष की वैध रहेगी। असंतोषजनक कार्य होने की स्थिति में 2 माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

- मानव संसाधन, मोबाईल मेडिकल यूनिट में संबंधित उपकरण, दवाईयॉ, लैब सामग्री एवं अन्य चिकित्सा सामग्री संबंधित फर्म के द्वारा वहन किया जावेगा एवं दवाईयॉ तथा उपकरण मानक स्तर के होने चाहिए।
- कार्य का समय प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 5:00 बजे तक रहेगा। तथा रविवार को अवकाश दिवस होगा।
- मोबाईल मेडिकल यूनिट का जिले में भ्रमण कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर से प्रतिमाह प्राप्त किया जावेगा।
- हर माह को ATP कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर में जमा करना अनिवार्यः होगा।
- मानव संसाधन(चिकित्सा अधिकारी एम0बी0बी0एस0–01, फार्मासिस्ट–01, स्टॉफ नर्स या ए0एन0एम0–01, लैब टैक्नीशियन–01 तथा वाहन चालक–01) के भर्ती, वेतन अवकाश तथा अनुभव संबंधित फर्म के द्वारा देय होगी तथा जिला प्रशासन बीजापुर इसका जवाबदार नही होगा। कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज की स्वःप्रमाणित छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगा।
- संबंधित फर्म द्वारा प्रत्येक दिवस की जानकारी मासिक रिपोर्ट दी जावेगी तथा रिपोर्ट नही दिये जाने की स्थिति में राशि रोकी जावेगी। माह समाप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।

17. मोबाईल मेडिकल यूनिट द्वारा निम्न सुविधाये प्रदाय की जावेगी–

- सामान्य चिकित्सा सेवा 1. बी0पी0 2. हिमोग्लोबिन स्तर 3. मलेरिया 3. मधुमेह जांच 4. मोतियाबिन्द(रेफरल) 5. बुखार 6. सर्दी–खांसी 7. खून जांच(डेगू, मलेरिया, टाईफाइड,) 8. ए0एन0सी0 जांच 9. बलगम जांच 10. सिकल टेस्ट 11. एच0आई0व्ही0 टेस्ट 12. अन्य समसमायिक।
- स्वास्थ्य जागरूकता सेवा 1. साफ–सफाई 2. स्वच्छ पानी का प्रयोग 3. माता एवं शिशु संबंधित जानकारी 4. टीकाकरण 5. एनिमिया 6. स्मार्ट कार्ड सेवा ।
- किशोर बालिका एवं महिला जागरूकता सेवा– मासिक धर्म संबंधित जानकारी एवं निदान।
- काउसंलिग सेवा– कुपोषण, क्लोरिनेशन, कुष्ठ रोग से संबंधित।
- सामुदायिक/समूह बैठक द्वारा जागरूकता कार्यक्रम।
- रेफरल सेवा – आपातकालीन स्थिति में चिकित्सक द्वारा रेफरल जिला चिकित्सालय बीजापुर में किया जावेगा।

18. संबंधित संस्था को F I R – तथा शासन द्वारा काली सूची (blacklisted) नही होने का शपथ पत्र जमा करना अनिर्वाय होगा ।

19. भुगतान व्यवस्था (Payment Provisions)

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बीजापुर (छ.ग.) प्रदान आदेश के विरूद्ध भुगतान हेतु सक्ष्म अधिकारी होगे।
- प्रदाय आदेश के विरूद्ध कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- भुगतान मासिक अथवा त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार किया जावेगा।
- अग्रिम राशि अथवा प्रतिभूति राशि के विरूध किसी किस्म का ब्याज देय नहीं होगा।

20. गुणवत्ता नियंत्रण कटौती (Quality Control Deduction)

- पूर्व में दिये गये निर्देषों, पैकिंग अथवा विर्निष्ट निर्देष का पालन नहीं करने पर अथवा निविदा की शर्तों के उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा सकेगा।
- अमानक स्तर की दवाईयॉ/चिकित्सा सामग्रीयो एवं उपकरण को 30 दिन के भीतर बदलकर देगा यदि प्रदायकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उसे काली सूची में रखा जायेगा। और 03 वर्ष के लिए जिले की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- बी0एम0डब्लू0 संबंधित समस्त नियमों का पालन फर्म/निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

21. विशेष शर्तें :-

- सभी प्रदायगी मूल प्रदाय पत्र व इनवाईस के साथ होना चाहिए छायाप्रति स्वीकर नही हो होंगी।
- प्रदायगी से संदर्भित पत्र व्यवहार मुद्रित अथवा सुस्पष्ट हस्तलिपी में होना चाहिए।
- दावा आपत्ति निवाकरण दिवस में इच्छुक निविदाकार को निविदा संबंधी प्रस्तुतीकरण तय समय सीमा में देना होगा।

22. स्वीकार निविदा को रुपये 50.00 के व्यावसायिक मुद्रांक पर इकरारनामा नोटरी से अभिप्रामणित कर प्रस्तुत करना होगा कि :-

- मैं निविदा शर्त में निहित कंडिका 01 से 23 तक के सभी शर्तों का अक्षरांश पालन करूंगा।
- यदि मेरे द्वारा प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण कराये जाने की स्थिति में व्यय की राशि का भुगतान मेरे द्वारा किया जावेगा तथा निम्न स्तर की पायी गयी तो अमानत राशि राजसात कर एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
- मेरे द्वारा निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर संस्थान द्वारा मेरे ऊपर नियमानुसार जो भी कार्यवाही की जाती है उसके लिये मैं सहमत रहूंगा/सहयोग करूंगा और कोई भी आपत्ति नहीं करूंगा निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु सहमत हूँ।
- निविदा में दरें स्वीकृत होने पर निविदा की सम्पूर्ण अवधि तक मैं उन्हीं दरों पर सेवा प्रदाय करुंगा।

23. निविदा किसी भी चरणों में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निरस्त कि जा सकेगी। एवं न्यायालय संबंधित समस्त कार्य क्षेत्र न्यायालय बीजापुर होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला- बीजापुर(छ0ग0)